तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.02.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप0। पैरोकार सरकार उप0। प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के मृतक कायम मुकान बनाये पर वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण चन्द्रपाल वगैरा पिस0 बलमत सिंह की ओर से उपस्थित अभिभाषक श्री नीरपाल सिंह ने बताया कि अपीलान्ट बलमतसिंह का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2018 को हो चुका है। प्रार्थीगण मृतक अपीलान्ट बलमतसिंह के वारिसान है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट के आगे मृतक शब्द अंकित किया जावे। राजकीय अभिभाषक ने जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2060/0.21 है0 किस्म गैरमुमकिन पोख ग्राम गुनसारा पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। नायब तहसीलदार रारह ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2017 से अतिक्रमी को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं पैलल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है। राजकीय अभिभाषक का कहना है कि मृतक अपीलान्ट की दौराने विचाराधीन अपील मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विधिक प्रतिनिधिगण को अपीलाधीन आदेश की अपील में चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं रहता। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज/ड्रॉप की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। नायब तहसीलदार रारह ने अपीलान्ट बलमत सिंह पुत्र लालाराम द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2060/0.21 है0 किस्म गैरमुमकिन पोखर ग्राम गुनसारा पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 एलआरएक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी से बेदखल करने एवं पैलन्टी कायम किये जाने की आज्ञा दिनांक 13.12.2017 दी गई है। नायब तहसीलदार रारह के उक्त आदेश दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट बलमतसिंह ने न्यायालय हाजा में दिनांक 01.01.2018 को अपील पेश की गई। दौराने विचाराधीन प्रकरण में अपीलान्ट बलमतसिंह को दिनांक 31.12.2018 को फौत होना बताया जाकर प्रार्थियान चन्द्रपाल वगैरा ने मृतक अपीलान्ट वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2019 को पेश किया गया। अतिक्रमी अपीलान्ट बलमतसिंह की मृत्यु अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 के बाद हुई है। चूंकि राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में जब किसी अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट 1956 की जाती है तो ऐसी कार्यवाही उस व्यक्ति के अपकृत्य के सम्बन्ध में सर्वथा व्यक्तिगत होती है। हस्तगत प्रकरण में मृतक अपीलान्ट के विधिक वारिसान को विवादित आराजी पर स्वर्गीय बलमतसिंह के अतिक्रमण एवं उसके बेदखली आदेश के सम्बन्ध में विवादित आदेश को चुनौती देने का कोई हक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मृतक अपीलान्ट विधिक वारिसान को विवादित आराजी पर स्वर्गीय बलमतसिंह के अतिक्रमण एवं उसकी बेदखली आदेश के सम्बन्ध में विवादित आदेश को चुनौती देने का कोई हक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाता है तथा अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**	